

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

विनय कुमार भा०प्र०से०,
सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले०एवंह०),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय:- नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत विभिन्न RFD, STP एवं Sewerage Network योजना के निर्माण हेतु राज्यांश की राशि 171.94 करोड़ रु० (एक सौ एकहत्तर करोड़ चौरानवे लाख रु०) मात्र वित्तीय वर्ष 2025-26 में सहायक अनुदान के रूप में निकासी की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत एवं विभिन्न RFD, STP एवं सिवरेज नेटवर्क योजना के निर्माण हेतु स्वीकृत परियोजनाओं की लागत व्यय पर अनुपातिक राज्यांश के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य मंत्रिपरिषद से प्राप्त है। उक्त सभी योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राशि विमुक्त किया जाना आवश्यक है। स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन हेतु Mother Child Account का संधारण किया गया है। उक्त के आलोक में योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्यांश की राशि की निकासी किया जाना है। केन्द्रांश मद की राशि लगातार प्राप्त होती रही है। योजना के कार्यान्वयन हेतु बजट में उपलब्ध राज्यांश की राशि 171.94 करोड़ रु० (एक सौ एकहत्तर करोड़ चौरानवे लाख रु०) मात्र वित्तीय वर्ष 2025-26 में सहायक अनुदान के रूप में निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह राशि द्वितीय अनुपूरक आगणन् से प्राप्त हुई है।

2. स्वीकृत कुल राशि 171.94 करोड़ रु० (एक सौ एकहत्तर करोड़ चौरानवे लाख रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे जिनके द्वारा राशि की एकमुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी, Bihar State Ganga River Conservation Programme Management. Society. (BGCMS)-WB AP के युनियन बैंक ऑफ इंडिया एक्जिजीशन रोड, पटना में नमामि गंगे योजना के Mother Account के खाता संख्या 529602010005783, IFSC Code UBIN0552968 में 171.94 करोड़ रु० (एक सौ एकहत्तर करोड़ चौरानवे लाख रु०) मात्र अंतरित किया जाएगा तथा जिसे आवश्यकतानुसार कार्यान्वयन एजेंसी बुडको द्वारा Mother Child account के माध्यम से व्यय किया जाएगा। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 तथा पत्रांक-214 दिनांक-06.03.2024 के अनुदेशों के आलोक में की जाएगी।

Handwritten signature and date:
6/1/24

3. स्वीकृत राशि की निकासी ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। यह राशि सहायक अनुदान है। इस राशि का व्यय विभिन्न RFD, STP एवं सिवरेज नेटवर्क योजनाओं के क्रियान्वयन पर किया जाएगा। राशि का व्यय क्रियान्वयन एजेंसी बुडको द्वारा किया जायेगा और उपयोगिता प्रमाण पत्र भी कार्यान्वयन एजेंसी बुडको द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। स्वीकृत राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। राशि की निकासी के लिए CFMS के माध्यम से आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित एवं महालेखाकार, बिहार को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।
4. वित्त विभाग के परिपत्र सं0-7355 बि (2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
5. स्वीकृत राशि 171.94 करोड़ रु० (एक सौ एकहत्तर करोड़ चौरानवे लाख रु०) मात्र मांग सं0-48 मुख्य शीर्ष- 2215 -जल पूर्ति तथा सफाई-उप मुख्य शीर्ष-02-मल-जल तथा सफाई-लघु शीर्ष-106-वायु तथा जल प्रदूषण का निवारण उप शीर्ष-0302-राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम (N.R.C.P) विपत्र कोड-48-2215021060302 विषय शीर्ष-31.05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों का निर्माण, के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
6. राशि का व्यय विभिन्न RFD, STP एवं सिवरेज नेटवर्क योजना के कार्यान्वयन पर किया जायेगा।
7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का अधिकार होगा।
8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका के पृष्ठ- 37 /टि0 पर दिनांक- 05.01.2026 को प्राप्त है।
9. प्रस्ताव पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृष्ठ- 34 /टि0 पर दिनांक- 31.12.2025 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-03/नमामि गंगे-06-01/2020-

/न0वि0एवंआ0वि0/दिनांक-

प्रतिलिपि :-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

61/12-6

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-03/नमामि गंगे-06-01/2020- 422 / न0वि0एवंआ0वि0/दिनांक- 06/01/20

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रबंध निदेशक, बुडको/अपर सचिव-सह-निदेशक, बुडा/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/निदेशक, NMCG, भारत सरकार/टीम लीडर, SPMG/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Am 3m
6/1/20

सरकार के प्रधान सचिव।